

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या -09/2018

उत्तम कुमार महतो बनाम् ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

15-06-2018

आवेदक उत्तम कुमार महतो पिता मुरलीधर महतो ग्राम तोयरा, पो0-तोपा, थाना- माण्डू, जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा मौजा- लालशाही, थाना नं0- 125, खाता नं0-20, प्लॉट नं0-1300 रकवा- 10 डी0 एवं खाता नं0-20 प्लॉट नं0-1301 रकवा-30 डी0 भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अर्न्तगत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकरो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन नया मोड़ बोकरो) को पट्टे में देने की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है।

आवेदकगण से प्राप्त आवेदन एवं संलग्नक कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत एवं जमाबन्दी रैयत के वंशजों के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है और न ही बंटवारा से संबंधित कोई कागजात आवेदकगण के द्वारा दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुमति हेतु प्रश्नगत भूमि आवेदकगण के हिस्से की भूमि है।

उक्त परिपेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अर्न्तगत अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः प्रविष्टि के बिन्दु पर प्रश्नगत भूमि से संबंधित अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशाधित


उपायुक्त,
रामगढ़।


उपायुक्त,
रामगढ़।